

30/1/24

पत्रावली पेश। शूल अपील के खारिज हो जाने से प्रायः-पत्र ऑनिलेपहीन है अतः प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार हो गम्वर से कम की जाकर शूल अपील के साथ संलग्न है।

निर्णय लिखा जाकर हरे इजलास सुनाया गया।

पति
अति. जिला कलक्टर,
राहपुर